

न्यायालय—मधुसूदन जंघेल,
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर जिला बालाघाट (म0प्र0)

आप.प्रकरण क्रमांक—508/13
संस्थित दिनांक 22.05.2015
फाइलिंग नंबर—234503005732015

म0प्र0 राज्य द्वारा थाना प्रभारी आरक्षी केन्द्र मलाजखंड
जिला बालाघाट (म0प्र0)अभियोजन

// विरुद्ध //

अरुण पिता जुगराम रामटेके, उम्र—37 वर्ष, जाति महार,
निवासी क्वार्टर नंबर ए-2/19 टाउनशिप मलाजखंड
जिला बालाघाट।अभियुक्त

// निर्णय //

(दिनांक 28.06.2018 को घोषित किया गया)

01— उपरोक्त नामांकित आरोपी पर जनवरी, 2014 से दिनांक 29.03. 2015 तक आरक्षी केन्द्र मलाजखंड अंतर्गत आई.टी.आई. नेवरगांव में अभियोक्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उसका हाथ पकड़कर छेड़खानी कर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करने तथा अभियोक्त्री को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित करने, इस प्रकार धारा 354, 506 भाग—दो भा.दं.वि. के अंतर्गत दण्डनीय अपराध कारित करने का आरोप है।

02— प्रकरण में कोई महत्वपूर्ण तथ्य नहीं है।

03— अभियोजन का मामला संक्षेप में इस आशय का है कि आरोपी जनवरी, 2014 से आई.टी.आई. में क्लास लेने के दौरान अभियोक्त्री के साथ बुरी नियत से छेड़खानी करता था। अभियोक्त्री का हाथ प्यार करता हूँ कहकर पकड़ लेता था। अभियोक्त्री के मना करने पर आरोपी नहीं मानता था और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देता था। भय के कारण अभियोक्त्री ने रिपोर्ट नहीं किया। आरोपी द्वारा अधिक परेशान करने पर अभियोक्त्री ने अपनी माँ को घटना के बारे में बताया, जिसके उपरांत दिनांक 28.03.2015 को अभियोक्त्री ने घटना की लिखित रिपोर्ट थाना मलाजखंड में की थी, जिसके आधार पर थाना मलाजखंड में अपराध क्रमांक 35/15 धारा 354,

506 भाग-दो भा.द.वि. में पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। अभियोक्त्री एवं साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये घटना स्थल का मौका नक्शा बनाया गया। आरोपी को गिरफ्तार किया गया एवं आवश्यक अन्वेषण उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

04— आरोपी ने अपने अभिवाक तथा अभियुक्त परीक्षण अन्तर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0 में आरोपित अपराध करना अस्वीकार किया है। आरोपी ने अपने बचाव में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है।

05— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित प्रश्न विचारणीय हैं:-

1. क्या आरोपी ने जनवरी, 2014 से दिनांक 29.03.2015 तक आरक्षी केन्द्र मलाजखंड अंतर्गत आई.टी.आई. नेवरगांव में अभियोक्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उसका हाथ पकड़कर छेड़खानी कर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया ?

2. क्या आरोपी ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर अभियोक्त्री को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?

// निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण //

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01:-

06— अभियोक्त्री अ.सा.01 ने बताया है कि वह आरोपी को जानती है। घटना वर्ष 2013 से वर्ष 2015 के बीच उसके आई.टी.आई. मलाजखंड में पढ़ने के दौरान की है। घटना के समय आरोपी आई.टी.आई. में प्रशिक्षण अधिकारी था। वर्ष 2013 में उसने आई.टी.आई. में एडमिशन लिया था। शुरू में आरोपी द्वारा उसके साथ ठीक बर्ताव किया जाता था। दो-तीन माह पश्चात आरोपी अन्य विद्यार्थियों की अपेक्षा उसके साथ अलग व्यवहार करने लगे थे। उसके मना करने पर आरोपी उसे डराकर सब सामान्य है कहते थे। आरोपी किसी को बताने पर भविष्य खराब करने की धमकी देता था। आरोपी उससे कहता था कि वह उसे पसंद करता है और शादी करना चाहता है, उसने मना किया, परंतु आरोपी नहीं माना और अक्सर उससे ऐसी बात कहता था। आरोपी

उसका हाथ पकड़कर इस तरह की बात कहता था, जिससे वह परेशान थी। आरोपी कम्प्यूटर लेब में भी उसका हाथ पकड़ लेता था। उसने घटना की लिखित शिकायत प्र.पी.01 थाना मलाजखंड में की थी। पुलिस ने प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.02 पंजीबद्ध किया था। पुलिस ने उसके समक्ष घटनास्थल का मौका नक्शा प्र.पी.03 तैयार किया था तथा उसका बयान लेखबद्ध किया था।

07— साक्षी सुलेखा मरकाम अ.सा.04 ने बताया है कि दिनांक 29.03. 2015 को अभियोक्त्री थाना मलाजखंड उपस्थित होकर आरोपी अरुण रामटेके के विरुद्ध इस आशय का आवेदन प्रस्तुत की थी कि आरोपी उसकी संस्था का प्रशिक्षण अधिकारी है। जनवरी, 2014 से क्लास लेने के दौरान उसके साथ बुरी नियत रखकर छेड़खानी करता था और प्यार करता हूँ कहकर हाथ पकड़ लेता था। आरोपी जान से मारने की धमकी भी देता था। अभियोक्त्री के द्वारा प्रस्तुत लिखित आवेदन प्र.पी.01 के जांच के दौरान उसने अपराध क्रमांक 35/15 धारा 354, 506 भा.द.वि. की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.02 पंजीबद्ध की थी।

08— गंगाबाई अ.सा.02 ने बताया है कि अभियोक्त्री उसकी लड़की है। वह आरोपी को जानती है। घटना के समय उसकी लड़की मलाजखंड आई.टी. आई. में पढ़ती थी। पहले उसकी लड़की ठीक से पढ़ाई करती थी। उसके बाद परेशान रहने लगी। कुछ दिनों बाद पूछने पर उसकी लड़की ने बताया था कि आरोपी उसे परेशान करता है। उन्होंने मलाजखंड थाने में शिकायत की थी, फिर बदनामी के डर से उन्होंने समझौता कर लिया, किन्तु कुछ समय पश्चात आरोपी द्वारा पुनः परेशान करने के कारण उन्होंने आरोपी के खिलाफ मलाजखंड में रिपोर्ट की थी। पुलिस ने उसका बयान लिया था।

09— गंगाबाई अ.सा.02 ने आरोपी द्वारा अभियोक्त्री को मात्र परेशान करना बताया है। मुख्यपरीक्षण में कैसे परेशान करता था, नहीं बताया है। जबकि प्रतिपरीक्षण में बताया है कि उसकी लड़की ने उसे बताया था कि आरोपी गेट बंद कर देते हैं, उसे आने नहीं देते हैं और देख लेंगे कहते हैं। इस प्रकार अभियोक्त्री की माँ के कथन से आरोपी द्वारा लज्जा भंग करने की नियत से छेड़खानी कर परेशान करने की घटना प्रकट नहीं है। गंगाबाई अ.सा.02 ने

प्रतिपरीक्षण में यह भी स्वीकार किया है कि आरोपी की पत्नि कविता रामटेके से उसकी पुत्री का विवाद हुआ था। यह भी स्वीकार किया है कि आरोपी की पत्नि से विवाद के बाद उन्होंने शिकायत की थी। इस प्रकार इस साक्षी के कथन से यह भी प्रकट है कि आरोपी की पत्नि से अभियोक्त्री का विवाद हुआ था और उसके बाद ही रिपोर्ट की गई थी। जबकि घटना जनवरी, 2014 की होना बताया गया है और उसकी रिपोर्ट एक वर्ष उपरांत दिनांक 29.03.2015 को की गई है तथा अभियोक्त्री की माँ ने प्रतिपरीक्षण में यह भी स्वीकार किया है कि उसने आरोपी को घटना कारित करने हुए नहीं देखा है, जिससे भी घटना के संबंध में उक्त परिस्थिति में साक्षी का कथन पूर्णतः विश्वसनीय प्रकट नहीं होता है।

10— ईश्वरदयाल अ.सा.02 ने बताया है कि वह आरोपी को जानता है। वह नेवरगांव आई.टी.आई. में प्रशिक्षण अधिकारी के पद पर पदस्थ है। अभियोक्त्री इलेक्ट्रिशियन ट्रेड की छात्रा थी। उसे आरोपी और अभियोक्त्री के मध्य किसी घटना की जानकारी नहीं है। पुलिस ने उसका बयान लिया था। पक्षद्रोही घोषित किये जाने पर इससे इंकार किया है कि अभियोक्त्री के साथ आरोपी छेड़खानी कर डराता-धमकाता था। इससे भी इंकार किया है कि उसने आरोपी को समझाने की कोशिश की, किन्तु आरोपी के नहीं मानने पर उसने अभियोक्त्री को रिपोर्ट करने की सलाह दी थी। इस प्रकार इस साक्षी ने भी अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया है।

11— सुलेखा मरकाम अ.सा.04 ने यह बताया है कि थाना मलाजखंड के अपराध क्रमांक 35/15 धारा 354, 506 भा.द.वि. की विवेचना के दौरान उसने अभियोक्त्री, गंगा, ईश्वरदयाल के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किया था। आरोपी अरुण रामटेके को अभिरक्षा में लेकर गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.04 तैयार किया था। आरोपी को उसने न्यायालय में उपस्थित होने की सूचना प्र.पी.05 दिया था। उसने घटनास्थल पर जाने का रोजनामचासान्हा क्रमांक 1230 दिनांक 29.03.2015 प्र.पी.06 एवं वापसी का सान्हा क्रमांक 1237 दिनांक 29.03.2015 प्र.पी.07 पेश किया है। रामभजन साहू अ.सा.05 ने बताया है

कि विवेचना के दौरान हमराह प्रधान आरक्षक सुलेखा मरकाम के साथ घटनास्थल पर जाकर उसने नक्शा मौका प्र.पी.03 तैयार किया था।

12— सुलेखा मरकाम अ.सा.04 ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि दिनांक 27.03.2015 को अभियोक्त्री ने अरूण रामटेके, ईश्वरदयाल खोब्रागढ़े, प्रमोद एवं डी.एस. परिहार के विरुद्ध आवेदन दिया था। उसे इस बात की भी जानकारी नहीं है कि दिनांक 20.02.2015 को अभियोक्त्री ने एक और आवेदन दिया था। इससे भी इंकार किया है कि साक्षी गंगाबाई, ईश्वरदयाल तथा अभियोक्त्री के कथन अपने मन से लेखबद्ध की थी। इससे भी इंकार किया है कि वह घटनास्थल पर नहीं गई थी। रामभजन अ.सा. 05 ने भी प्रतिपरीक्षण में इससे इंकार किया है कि नक्शा प्र.पी.03 थाने में बैठकर तैयार किया गया था।

13— अभियोक्त्री अ.सा.01 ने अपने मुख्यपरीक्षण में बताया है कि आरोपी उससे अलग तरीके से बर्ताव करते थे। कम्प्यूटर लेब में उसका हाथ पकड़ लेते थे। तथा उसके मना करने पर डराते एवं सब सामान्य है कहते थे तथा भविष्य खराब करने की धमकी देते थे, किन्तु उक्त सभी बातों के बारे में अभियोक्त्री ने अपने लिखित रिपोर्ट प्र.पी.01 में उल्लेख नहीं किया है। अभियोक्त्री ने दिनांक 28.03.2015 को थाना मलाजखंड में लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत की है तथा प्रतिपरीक्षण में अभियोक्त्री ने यह स्वीकार किया है कि दिनांक 20.02.2015 को भी उसने रिपोर्ट की थी। दिनांक 20.02.2015 को उसने थाना मलाजखंड में अभद्र व्यवहार से परेशान हो चुकी हूँ कहकर रिपोर्ट की थी। इस प्रकार घटना की लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत करने के एक माह पूर्व भी अभियोक्त्री द्वारा आरोपी के विरुद्ध रिपोर्ट किया जाना स्वीकार किया गया है, किन्तु जनवरी, 2014 से यदि आरोपी उसके साथ छेड़खानी करता था, तो उसका उल्लेख अभियोक्त्री ने दिनांक 20.02.2015 की रिपोर्ट में क्यों नहीं की, इसका कोई कारण नहीं है तथा दिनांक 20.02.2015 की रिपोर्ट में अभद्र व्यवहार से परेशान होने की बात बताई है। जबकि छेड़खानी या हाथ पकड़कर प्यार करने के संबंध में उक्त रिपोर्ट में नहीं बताई है, जिससे भी साक्षी का कथन पूर्णतः

विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता।

14— अभियोक्त्री अ.सा.01 ने दिनांक 20.02.2015 को अभद्र व्यवहार करने की रिपोर्ट करना स्वीकार किया है, किन्तु दिनांक 20.02.2015 के पूर्व आरोपी द्वारा छेड़खानी, हाथ पकड़ना एवं प्यार करने के बारे में स्पष्ट नहीं बताई है। प्रतिपरीक्षण में यह भी स्वीकार किया है कि दिनांक 20.02.2015 को दिये गये आवेदन में उसने आरोपी द्वारा उक्त हरकत करने के संबंध में लेख नहीं किया था। यह भी स्वीकार किया है कि दिनांक 20.02.2015 को आरोपी कहों था, इसकी उसे जानकारी नहीं है। स्वतः बताया है कि आरोपी उसके बाद संस्था में नहीं आते थे, जिससे भी यह स्पष्ट है कि दिनांक 20.02.2015 के बाद आरोपी द्वारा अभियोक्त्री के साथ कोई छेड़खानी की घटना नहीं की गई है। अभियोक्त्री ने प्रतिपरीक्षण में यह भी स्वीकार किया है कि उसने वर्ष 2013 से दिनांक 20.02.2015 के पूर्व आरोपी छेड़खानी करता है, उक्त संबंध में रिपोर्ट दर्ज नहीं की थी।

15— इस प्रकार स्वयं अभियोक्त्री ने ही स्वीकार किया है कि दिनांक 20.02.2015 के पूर्व घटना के संबंध में उसकी रिपोर्ट नहीं है और दिनांक 20.02.2015 के बाद आरोपी प्रशिक्षण संस्थान में गया ही नहीं है, जिससे भी छेड़खानी करने के संबंध में साक्षी का कथन पूर्णतः विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है। अभियोक्त्री ने कक्षा एवं कंप्यूटर लेब के अंदर कक्षा के दौरान की घटना होना बताया है तथा प्रतिपरीक्षण में यह भी स्वीकार किया है कि एक बेंच पर दो-तीन लोग बैठते थे। उसके बेंच के बाजू एवं पीछे भी बेंच लगी हुई थी, जिसमें छात्र बैठते थे। इससे इंकार किया है कि उसने छेड़खानी वाली बात सहपाठियों को नहीं बताई थी। स्वतः बताया है कि प्रमोद को बताई थी, किन्तु प्रमोद को साक्षी भी नहीं बनाया गया है। अभियोक्त्री ने प्रतिपरीक्षण में यह भी बताया है कि वह नहीं बता सकती कि आरोपी द्वारा कक्षा में की जाने वाली हरकत किसी अन्य ने देखा अथवा नहीं। जबकि अभियोक्त्री के साथ एवं आगे-पीछे छात्र बैठते थे, यदि कक्षा के दौरान अभियोक्त्री के साथ छेड़खादी की गई होती तो अवश्य ही अभियोक्त्री के साथ बैठने वाले एवं आगे-पीछे बैठने वाले छात्र भी घटना देखते एवं महत्वपूर्ण साक्षी हो सकते थे, किन्तु अभियोक्त्री

की कक्षा के किसी भी छात्र को या उसके साथ बैठने वाले छात्र को साक्षी नहीं बनाया गया है।

16— अभियोक्त्री ने प्रतिपरीक्षण में यह भी स्वीकार किया है कि आरोपी ने अपनी पत्नि कविता द्वारा अभियोक्त्री के मोबाईल में उसके चरित्र को लेकर अपशब्द कही थी, जिसके बारे में गलतफहमी होने से उसकी पत्नि ने माफी मांग लिया था। अभियोक्त्री की माँ गंगाबाई ने भी बताया है कि आरोपी की पत्नि से विवाद होने के बाद ही शिकायत की गई है, जिससे भी विवाद आरोपी की पत्नि से होना प्रकट होता है। घटना जनवरी, 2014 से होना बताया गया है, किन्तु घटना की रिपोर्ट एक वर्ष एक माह उपरांत दिनांक 29.03.2015 को की गई है। इस प्रकार प्रथम सूचना रिपोर्ट भी अत्यधिक विलंब से किया गया है, जिसका कोई समुचित स्पष्टीकरण भी नहीं है एवं जहाँ प्रथम सूचना रिपोर्ट में विलंब का पर्याप्त स्पष्टीकरण न हो वहाँ मामला संदेहास्पद हो जाता है। इस संबंध में न्यायदृष्टांत रुखदूसिंह बनाम स्टेट ऑफ एम.पी. 2010 कि.लॉ. 498म.प्र. अवलोकनीय है। अभियोक्त्री का कथन घटना के संबंध में पूर्णतः विश्वसनीय नहीं पाया गया है। स्वयं अभियोक्त्री ने प्रतिपरीक्षण में स्पष्ट स्वीकार किया है कि उसने वर्ष 2013 से दिनांक 20.02.2015 के पूर्व आरोपी द्वारा छेड़ खानी की रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई थी तथा दिनांक 20.02.2015 के बाद आरोपी द्वारा किसी घटना के बारे में अभियोक्त्री ने नहीं बताया है। अभियोक्त्री की माँ गंगाबाई ने आरोपी द्वारा आई.टी.आई. में नहीं आने देने, गेट बंद कर देने की बात कहकर परेशान करने के बारे में बताई है। इस प्रकार अभियोक्त्री की माँ के कथन एवं अभियोक्त्री के कथन में भी विरोधाभास है। अभियोक्त्री का कथन भी पूर्णतः विश्वसनीय नहीं है, जिससे उपरोक्त संपूर्ण परिस्थितियों में अभियोजन का मामला संदेहास्पद हो जाता है। इस संबंध में न्यायदृष्टांत स्टेट ऑफ एम.पी. बनाम सुनील जैन, 2007 (3) म.प्र.लॉ.ज. 372 म.प्र. अवलोकनीय है।

विचारणीय प्रश्न कमांक-02

17— अभियोक्त्री अ.सा.01 ने बताया है कि आरोपी उसे डराते थे और

उसे जान से मारने की धमकी देते थे। गंगाबाई अ.सा.02 ने बताया है कि आरोपी उसकी लड़की को धमकी देता था, किन्तु क्या धमकी देता था यह नहीं बताया है। ईश्वरदयाल अ.सा.03 ने धमकी के बारे में कोई कथन नहीं किये हैं। अभियोक्त्री अ.सा.1 और उक्त साक्षियों ने यह नहीं बताये हैं कि वह आरोपी की धमकी को सुनकर अभियोक्त्री भयभीत हो गई थी या उसे जान का भय पैदा हो गया था। अभियोक्त्री एवं उक्त साक्षियों ने यह भी नहीं बताये हैं कि आरोपी ने घटना पश्चात् अपनी धमकी को कार्यरूप में परिणित करने के लिए कोई कार्य किया था, जिससे आरोपी का धमकी निष्पादित करने का सुदृढ़ निश्चय व्यक्त नहीं होता है। फलतः घटना दिनांक को आरोपी द्वारा अभियोक्त्री को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर उसे आपराधिक अभित्रास कारित करने की घटना का तथ्य प्रमाणित नहीं होता है। उक्त संबंध में न्यायदृष्टांत शरद दवे विरुद्ध महेश गुप्ता विधि भास्वर 2005 (2) पेज नं.152 अवलोकनीय है।

18— उपरोक्त संपूर्ण परिस्थितियों के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर है कि अभियोजन युक्तियुक्त संदेह के परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी ने जनवरी, 2014 से दिनांक 29.03.2015 तक आरक्षी केन्द्र मलाजखंड अंतर्गत आई.टी.आई. नेवरगांव में अभियोक्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उसका हाथ पकड़कर छेड़खानी कर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया तथा अभियोक्त्री को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।। फलतः आरोपी को धारा 354, 506 भाग-दो भा.द.वि. के आरोपों से दोषमुक्त किया जाकर इस मामले से स्वतंत्र किया जाता है।

19— आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

20— आरोपी जिस कालावधि के लिए जेल में रहा हो उस विषय में एक विवरण धारा-428 दं.प्र.सं. के अंतर्गत बनाया जावे जो निर्णय का भाग होगा। निरोध की अवधि मूल कारावास की सजा में मात्र मुजरा हो सकेगी। आरोपी पुलिस/न्यायिक अभिरक्षा में दिनांक 22.05.2015 से दिनांक 27.05.2015

// 9 //

आप.प्रकरण क्रमांक-508 / 13
फाईलिंग नंबर-234503005732015

तक निरुद्ध रहा है।

21— प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति कुछ नहीं।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित, मेरे निर्देश पर टंकित किया।
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

सही /—

मधुसूदन जंघेल

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला बालाघाट म.प्र.

सही /—

मधुसूदन जंघेल

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला बालाघाट म.प्र.

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु सामान्य)

सामान्य जानकारी हेतु
शासकीय / विधिक उपयोग हेतु